मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-अप्रैल, 2007 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 23 फरवरी, 2007 (फाल्गुन 4, 1928)

समय 9.00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री जयंत मलैया, आवास एवं पर्यावरण मंत्री, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 40 (7) तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 36 (7) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का लेखा परीक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2004-2005 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, सर्वश्री रामलखन शर्मा, सज्जन सिंह वर्मा, सदस्य, भिण्ड जिले में सहकारी संस्थाओं के चुनाव अधिकारियों का अपहरण कर उनके साथ मारपीट किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री अखण्ड प्रताप सिंह यादव, बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य, टीकमगढ़ जिले में सूखा व ओलावृष्टि से उत्पन्न स्थिति की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री रविन्द्र सुका महाजन, सदस्य, बुरहानपुर शहर के इन्दिरा नगर वार्ड में बड़ा नाला बनाये जाने,

(2) श्री संजय शर्मा, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के -

(क) बोहानी विधान सभा क्षेत्र में राजमार्ग चौराहे पर 30 बिस्तरीय अस्पताल बनाये जाने, तथा

(ख) ग्राम पंचायत सिहोरा में कृषि उप मण्डी खोले जाने,

(3) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य, श्योपुर जिले के -

(क) जिला चिकित्सालय श्योपुर में चिकित्सकों की पदस्थापना एवं सुविधायें उपलब्ध कराये जाने,

(ख) ग्राम गलमान्या के पास नाले पर पुलिस का निर्माण कराये जाने,

(ग) ग्राम भिलवाड़िया स्थित प्राथमिक विद्यालय की बाउन्ड्रीवाल बनाये जाने,

(घ) श्योपुर-कातोली सड़क मार्ग का पुनर्निर्माण कराये जाने,

(ङ) ग्राम ननावद की खाड़ी पर पुलिया कम रपटा बनाये जाने,

(च) स्नातकोत्तर महाविद्यालय श्योपुर में एल.एल-बी. की कक्षायें प्रारंभ कराये जाने,

(छ) ग्राम अजापुरा में आंगनवाड़ी केन्द्र खोले जाने,

(ज) ग्राम वर्धाबुजुर्ग के पास नन्दड़ी नदी पर स्टाप डेम बनाये जाने,

(झ) ग्राम किलोरच के पास खाड़ी पर रपटा कम पुलिया बनाये जाने, तथा

(ञ) उप तहसील बड़ोदा में यात्री प्रतीक्षालय एवं शौचालय बनाये जाने,

(4) श्री कृष्ण कुमार सिंह (भंवर साहब), सदस्य, सीधी जिले के -

(क) ग्राम खैरा एवं पड़खुरी स्थित माध्यमिक विद्यालय का उन्नयन कराये जाने,

(ख) ग्राम कतरी काड़ी, रोसर स्थित प्राथमिक शाला का उन्नयन कराये जाने,

(ग) ग्राम खड़ोरा में ट्रांसफार्मर लगाये जाने,

(घ) चूल्ही-बढ़ौरा मार्ग का पुनर्निर्माण कराये जाने, तथा

(ङ) ग्राम मझौली में उच्च क्षमता का ट्रांसफार्मर लगाये जाने, एवं

(5) श्री हरवंश सिंह, सदस्य, छिंदवाड़ा एवं सिवनी जिले की पेंच सिंचाई परियोजना हेतु वित्त वर्ष 2007-2008 के बजट में राशि का प्रावधान किये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

5. राज्यपाल के अभिभाषण पर श्रीमती सुधा जैन, सदस्य, द्वारा दिनांक 19 फरवरी, 2007 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा का पुनर्ग्रहण.

"राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया उसके लिये मध्यप्रदेश विधान सभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं".

निर्धारित समय

6. अशासकीय संकल्प

(1) डॉ. निशिथ पटेल, श्री शरद जैन (एडव्होकेट), सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

45 मि. "यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि कोष्टा/कोष्टी जाति को सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित किया जाय".

(2) श्री उमाशंकर गुप्ता, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

1 घन्टा "सदन का यह मत है कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत होने वाले निर्माण कार्य पीस वर्क पर न दिये जाकर निविदाओं के आधार पर कार्यादेश जारी किये जायें".

(3) श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

45 मि. "सदन का यह मत है कि प्रदेश के समस्त शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों में खेल परिसर स्थापित किये जायें".

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक 22 फरवरी, 2007